भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2750
उत्तर देने की तारीख-12/08/2026

बंद होते सरकारी स्कूल तथा इसका प्रभाव

2750# **श्री रामजी लाल सुमन**:
क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि**:**

(क) क्या देश के विभिन्न राज्यों में सरकारी स्कूलों के बंद होने या अन्य स्कूलों में विलय होने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं;
(ख) यदि हां**,** तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या स्कूलों के बंद होने से गरीब और ग्रामीण छात्रों की शिक्षा प्रभावित हो रही है;
(घ) क्या जिन गांवों के स्कूल बंद हुए हैं, वहां के बच्चों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है;
(ङ) क्या बंद किए गए स्कूलों के प्रभाव के संबंध में कोई आकलन किया गया है; और
(च) स्कूलों को मजबूत करने के बजाय उन्हें बंद करने की नीति अपनाने के क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (च): वर्ष 2024-25 और 2025-26 हेतु शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस (यूडाइज+) पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रदेशों द्वारा रिपोर्ट किए गए सरकारी स्कूलों की कुल संख्या अनुलग्नक में दी गई है।

शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और स्कूलों का खोला जाना, बंद करना और युक्तिसंगत बनाना संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 बच्चों को परिभाषित क्षेत्र अथवा पड़ोस की सीमाओं के भीतर प्रारंभिक स्कूलों तक पहुंच प्रदान करता है। आरटीई अधिनियम की धारा 6 के अनुसरण में, सभी राज्यों ने अपने पड़ोस मानदंडों के क्षेत्र अथवा सीमाएं अधिसूचित की हैं। इसके अलावा, आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 8 यह भी अधिदेशित करती है कि उचित सरकार प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करेगी तथा पड़ोस के स्कूलों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी।

यूडाइज+ पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के स्कूली शिक्षा में सार्वभौमिक पहुंच सुधारने में प्रगति हुई है। इसका प्रमाण वर्ष 2018-19 और वर्ष 2025-26 के लिए सकल पहुंच अनुपात (जीएआर) से प्राप्त होता है:

वर्ष	उच्च प्राथमिक	माध्यमिक	उच्च माध्यमिक
2018-19	96.49	88.24	65.05
2025-26	98.14	95.05	94.79

जीएआर: सकल पहुंच अनुपात (जीएआर) एक वर्ष में कुल गांवों/आवासों में से उस वर्ष में निर्दिष्ट मानदंड के भीतर स्कूल वाले कुल गांवों/आवासों का अनुपात है।

केंद्र सरकार समग्र शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना के माध्यम से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करती है और प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना के तहत बालवाटिका से कक्षा 8 तक गर्म पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है। सरकारी स्कूलों में ड्रॉपआउट कम करने और नामांकन बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियों के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता/अनुदान भी प्रदान किया जाता है, जिसमें वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक नए स्कूल खोलना/सुदृढ़ करना, स्कूल अवसंरचना को सुदृढ़ करना, कक्षा 12 तक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) की स्थापना, उन्नयन और संचालन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय नामक आवासीय स्कूलों/छात्रावासों की स्थापना, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) के तहत छात्रावास, परिवहन भत्ता, नामांकन अभियान चलाना, सामयिक छात्रावास/आवासीय शिविर, स्कूलों में कौशल शिक्षा और आईसीटी सुविधाओं का प्रावधान, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें और निःशुल्क यूनिफॉर्म प्रदान करना, परिवहन/एस्कार्ट सुविधा आदि शामिल हैं।

पीएम श्री योजना भी शुरू की गई है जिसका उद्देश्य 14,500 से अधिक चयनित स्कूलों को अनुकरणीय स्कूलों के रूप में विकसित करना है जो पड़ोस के अन्य स्कूलों को नेतृत्व प्रदान करते हैं, और एनईपी 2020 की सभी पहलों को प्रदर्शित करते हैं।

******

अनुलग्नक

'बंद होते सरकारी स्कूल तथा इसका प्रभाव' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री रामजी लाल सुमन द्वारा दिनांक 12/08/2026 को पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2750 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए सरकारी स्कूलों की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/भारत	सरकारी स्कूल	
	2024-25	2025-26
भारत	1013322	1005245
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	335	335
आंध्र प्रदेश	44886	44222
अरुणाचल प्रदेश	2558	2468
असम	44741	44550
बिहार	76320	76435
चंडीगढ़	118	116
छत्तीसगढ	48827	48853
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	361	353
दिल्ली	2681	2688
गोवा	780	771
गुजरात	34638	34734
हरियाणा	14338	14338
हिमाचल प्रदेश	14725	14460
जम्मू एवं कश्मीर	18785	18787
झारखंड	35788	35819
कर्नाटक	48844	48527
केरल	4808	4809
लद्दाख	812	733
लक्षद्वीप	36	34
मध्य प्रदेश	92250	91199
महाराष्ट्र	64884	64571
मणिपुर	2952	2934
मेघालय	7789	5620
मिजोरम	2617	2613
नागालैंड	1936	1902
ओडिशा	48625	48603
पुदुचेरी	419	419
पंजाब	19243	19241
राजस्थान	70155	69983
सिक्किम	857	829
तमिलनाडु	37626	37539
तेलंगाना	30057	28088
त्रिपुरा	4187	4144
उत्तर प्रदेश	137172	137103
उत्तराखंड	16018	15834
पश्चिम बंगाल	82154	81591

स्त्रोत: यूडाइज+